राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 4609/2024

बोदु राम इनानिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, डीडवाना–कुचामन।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विश्वनाथपुरा, सुनारी, लाडनूं, डीडवाना–कुचामन।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.12.2024
आदेश की दिनांक : 16.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विश्वनाथपुरा, सुनारी, लाडनूं, डीडवाना–कुचामन से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचीपाला में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि वर्तमान विद्यालय में अधिशेष कर्मचारी नहीं है, वह नियमित पद से वेतन प्राप्त रहा है। केवलमात्र विद्यालय क्रमोन्नत होने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी बीएलओ के पद पर कार्यरत है, जिसे चुनाव अधिकारी की सहमति के बिना स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का

अनुशीलन कर मनन किया। अपीलार्थी का विद्यालय क्रमोन्नत होने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को अन्यत्र स्थानांतरित/पदस्थापित किया है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकताओं में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)